

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

पत्रांक-ओथ-01/2010-

/रा०स०(1),

दिनांक

आदेश

बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्य मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का सदस्य नियुक्त करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अफजल अमानुल्लाह)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

बिहार, पटना ।

ज्ञापक-ओथ-01/2010- **3265** /रा०स०(1)

दिनांक- **25-11-2010**

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राज्यपाल के प्रधान सचिव

बिहार, पटना ।